

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग— 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :— **FP/CG/TRANS/17557/2016**

7.		परियोजना/स्कीम का स्थान	कार्यपालन अभियन्ता अति उच्च दाब (संधारण) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. बारसूर — बीजापुर विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण किया जाना है। उक्त लाईन राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के दोनों किनारों से प्रस्तावित है। इस निर्माण कार्य में दंतेवाडा वनमंडल में 71.705 हेक्टेयर एवं बीजापुर वनमंडल में 27.714 हेक्टेयर कुल 99.419 हेक्टेयर वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रभावित होती है जो न्यूनतम है।
	i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
	ii.	जिला	बीजापुर
	iii.	वन प्रभाग	बीजापुर वनमण्डल बीजापुर, परिक्षेत्र बीजापुर एवं भैरमगढ़
	iv.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	27.714 हेक्टेयर
	v.	वन की कानूनी स्थिति	
		(क) सीमांकित संरक्षित वन.	
		(ख) सीमांकित आरक्षित वन (RF-65,66,67)	11.383 हेक्टेयर
		(ग) असीमांकित आरक्षित वन (OA-1093)	03.345 हेक्टेयर
		(घ) राजस्व वनक्षेत्र	12.986 हेक्टेयर
		योग :—	27.714 हेक्टेयर
	vi.	हरियाली का घनत्व	0.4 से 0.5
	vii.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	संलग्न
	viii.	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	आवेदित वनभूमि वन भूमि मृदा वर्गीकरण के पांचवे श्रेणी में आता है। जिसमें फसल उत्पादन की संभावना कम है एवं मृदा क्षरण की संभावना नहीं है। अतः उक्त भूमि आवेदित परियोजना हेतु दिया जा सकता है। कृषि विज्ञान केन्द्र बीजापुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
	ix.	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	वन सीमा से लगा हुआ। (मानचित्र संलग्न)

	x.	क्यो फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैब मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नही है
	xi.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नही
	xii.	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. बारसूर – बीजापुर विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु बीजापुर वनमण्डल के आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है।
8		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रस्तावित वनभूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नही) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नही
10		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये चयनित अवक्रमित वनेत्तर क्षेत्र दन्तेवाड़ा वनमंडल के अन्तर्गत कि गई है, इससे सम्बंधित जानकारी संलग्न हैं।
	ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न हैं
	iii.	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा संलग्न हैं आदि।	संलग्न हैं
	iv.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न हैं
	v.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	संलग्न हैं

11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	प्रस्तावित क्षेत्र 40 हेक्टेयर से कम होने के कारण जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।
12		विभाग/जिला प्रोफाइल	
	i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6562.418 वर्ग कि.मी.
	ii.	जिले का वनक्षेत्र	वनमण्डल का वनक्षेत्र
		आरक्षित वन	1851.00 वर्ग कि.मी.
		संरक्षित वन	1342.450 वर्ग कि.मी.
		असीमांकित वन	9.19 वर्ग कि.मी.
		योग :-	3202.64 वर्ग कि.मी.
	iii.	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	
		सीमा सड़क संगठन का राष्ट्रीय राजमार्ग 16 का निर्माण	295.450 हेक्टर
	iv.	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:	निरंक
		क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	निरंक
		ख. वनेत्तर भूमि पर ।	निरंक
	v.	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	
		क. वनभूमि।	निरंक
		ख. वनेत्तर भूमि पर	निरंक
13		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्तावित 132 के.व्ही. . बारसूर - बीजापुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण होने से बीजापुर, जिले में बिना रुकावट विद्युत आपूर्ति होगी। इस परियोजना से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कृषि एवं औद्योगिक विकास होने से रोजगार होने की पुरी संभावना है। इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव हेतु 27.714 हे० वन भूमि ब्यापवर्तन की स्वीकृति करने की अनुशंसा सहित प्रेषित है।

दिनांक : 04/08/2016
स्थान : बीजापुर

वनमण्डलाधिकारी
बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर